



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 कार्तिक 1943 (श0)

(सं0 पटना 905) पटना, वृहस्पतिवार, 4 नवम्बर 2021

okf.kT; &dj foHkx

अधिसूचना

4 नवम्बर 2021

एस० ओ० 161, दिनांक 4 नवम्बर 2021—बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (समय समय पर यथा संशोधित) की धारा 14 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 147 दिनांक 7 सितम्बर, 2017 (इस अधिसूचना में "उक्त अधिसूचना" के रूप में निर्दिष्ट) में संशोधन करते हुए निर्दिष्ट करते हैं कि उक्त अधिसूचना की क्रम सं० 1 एवं 2 के स्तम्भ (2) में उल्लेखित वस्तुओं पर नीचे दी गयी तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट दर से कर अधिरोपित किया जायेगा—

rkfydk

Øe l ; k	ekyka dk foj .k	nj	'krā , oa calkst
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मोटर स्पीड (पेट्रोल)	23.58 प्रतिशत या रूपये 16.65 प्रति लीटर, जो भी उच्चतर हो	—
2	हाई स्पीड डीजल ऑयल तथा लाईट डीजल ऑयल	16.37 प्रतिशत या रूपये 12.33 प्रति लीटर, जो भी उच्चतर हो	—

2. यह अधिसूचना निर्गमन तिथि के अगले दिन से प्रभावी होगी।

[सं०सं० बिक्री कर/संशोधन-05/2018-2267]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

4 नवम्बर 2021

एस०ओ० 161, दिनांक 4 नवम्बर 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं० बिक्री कर/संशोधन-05/2018-2267]  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० प्रतिमा,  
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

**The 4th November 2021**

S.O. 161, Dated the 4th November 2021— In exercise of the powers conferred by clause (c) of Section 14 of Bihar Value Added Tax Act, 2005 (as amended from time to time), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments to Commercial Taxes Department Notification Number S.O. 147, Dated 7<sup>th</sup> September, 2017 (referred to as the “said notification” in this notification) and specify that the tax on the goods mentioned in column (2) of serial no. 1 and 2 of the said notification shall be levied at the rate specified in column (3) of the Table given below-

**Table**

Sl. No.	Description of goods	Rate	Conditions & restrictions
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Motor spirit (petrol)	23.58 percent or Rupees 16.65 per litre, whichever is higher	-
2	High Speed Diesel Oil and Light Diesel Oil	16.37 percent or Rupees 12.33 per litre, whichever is higher	-

2. This notification shall come into force from the next day of its issuance.

[F. No. Bikri-Kar/Sansodhan-05/2018 2267]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax - Cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 905-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>